तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रेम / रामवानु	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी
14/7/23	वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को सुनकर जा. पत्र पर सुना गया। वकील अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी के अपीलान्ट संवत 2003 से शिकमी रजे हैं। अतः विवादित आराजी पर पुष्प पुष्पा स्वत्व है परन्तु बन्दोबस्त विभाग ने अपीलान्ट के नाम काटते हुये, विवादित आराजी ईस्टेट के नाम कर दी व इसे खसरा नं० सिंगापत्थर दर्ज कर दिया जिसे ईस्टेट ने गलत तरीके से अपने पक्ष में उत्परिवर्तन करा लिया। अपील० न्यायाल० के वाद 7 R11 में खारिज होने पश्चात् में कोई कथन व दस्तावेज पेश नहीं हुये। अतः अपीलार्थीन आदेश की आड़ में ईस्टेट अपीलान्ट के कब्जे काश्त से बेदखल कर रहे हैं। अतः विवादित आराजी के फिकाई व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। ईस्टेट के अभिभाषक का कथन है कि विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विभिन्न न्यायालय एवं न्यायालय दाजा से भी आवश्यक कदाल रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद 7 R11 में सही खारिज किया है। अपील० ने राज सरकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया। अतः जा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट के जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि राज सरकार को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने पर वाद 7 R11 में खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण में तरमीमशाट को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः अपील० न्याय० ने वाद गलत खारिज किया	

..... लगातार

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....प्रेम.....बनाम.....रामधारी.....

किस्म मुकदमा.....नं०.....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दो, इसने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पक्षकार पक्ष को सुना किया। अधी० पटवा० के अधीनस्थ का यह मत्र राजस्व सरकार के पक्षकार नहीं बनाने एवं 80 सीपीसी का नोटिस नहीं देने के आधार पर ईक्वे० के प्र. पत्र 7 R11 के स्वीकार करते हुये यह विधि के विपरीत मानते उसे खारिज कर दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। चूंकि प्रकरण के तथ्य व्यापारिक दावा के सम्बन्ध स्पष्ट हो चुके हैं। अतः इस अधी० पटवा० की पत्रावली तलब करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हुये, प्रकरण इसी स्तर पर संशोधन स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः, अपेक्षा है कि अपीला अपीलाण्ट सांशोधन स्वीकार की जावे है। अधी० न्याया के आदेश दिनांक 13/2/23 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी० न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधी० न्याया० उभयपक्ष से साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह	

...लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षरयुक्त जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म में
	कार्यालय प्रयोजन में दिनांक 1/9/24 को पेश पुनर्मार्ई उपस्थित होवें। मजमा पैरवान शुमार की जाकर नम्बर से दर्ज की जावें, फार जरूरत रखकर दी।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्रा॰ कार्यालय
भरतपुर कैम्प धौ॰ पुर